491 2011 IV

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

पचास रुपये FIFTY RUPEES

रु.50 Rs.50

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 270747

दस्तावेज (ट्रस्ट न्यास)

मैं राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0श्री–वृजमोहन सिंह ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर,तहसील–मछलीशहर जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मै राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0श्री–वृजमोहन सिंह, स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट, पता– ग्राम– ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर,तहसील–मछलीशहर जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश के नाम से एक ट्रस्ट बनाने की घोषणा करता हूँ एवं ट्रस्ट का दस्तावेज अपने हस्ताक्षरों से रजिस्टर्ड कराने हेतु ट्रस्ट डीड प्रस्तुत करता हूँ।

2- ट्रस्ट न्यास की विधिक प्रतिबद्धता– स्टर्लिंग् एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट, एक्ट 1882 के अन्तर्गत गठित एवं रजिस्टर्ड किया जा रहा है। इस ट्रस्ट पर इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के समस्त नियम/उपनियम लागू होने जो इस ट्रस्ट के संचालन के लिए के लिए आवश्यक है।

2156
17-10-11

रजि० ट्रेश्यान हेतु
राजेश कुमार सिंह s/o स्व० बृजमोहन सिंह
चौकी खुर्द पo घेमुवा जौनपुर
[illegible]

Trust Deed

बैनामा.............. नि.शु. 100/- नकल 60/- योग 160/-
श्री राजेश कुमार पुत्र/पत्नी बृजमोहन सिंह नि० चौकी खुर्द
परग० [illegible] तहसील मछलीशहर जिला जौनपुर ने इस लेखपत्र को उप निबन्धक कार्यालय [illegible] 20/10/11
को 3/- बजे दिन में प्रस्तुत किया

राजेश कुमार सिंह

उ०नि० मछलीशहर (जौनपुर)
21/10/11

[illegible] लेखपत्र को पढ़कर व [illegible]
[illegible] गवाह प्राप्त [illegible]
श्री राजेश कुमार [illegible]
[illegible] प्रथम पक्ष
[illegible] द्वितीय पक्ष

ने स्वीकार किया जिनकी पहचान श्री [illegible] चौकी [illegible] तह०
पुत्र श्री [illegible] पेशा
व श्री [illegible]
जिला जौनपुर ने किया।

उ०नि० म० शहर
21/10/11

भारतीय गैर न्यायिक

पचास रुपये रु.50

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

FIFTY RUPEES Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AA 270748

और न्यायिक विधा में व्यवहारिक तथा विधिमान्य है। स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट,उनके अनुपालन के लिए प्रतिबद्ध है।

3. ट्रस्ट न्यास का नाम– स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट,

4. ट्रस्ट न्यास का स्थायी पता–

ग्राम–चौकीखुर्द,
पोस्ट–किशुनदासपुर,तहसील–मछलीशहर
जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश

5. ट्रस्ट न्यास का कार्यक्षेत्र– सम्पूर्ण भारत

6. ट्रस्ट निर्माता न्यासकर्ता – राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0श्री–बृजमोहन सिंह स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर।

7. न्यासकर्ता द्वारा अधिकृत व्यक्ति का नाम– राजेश कुमार सिंह (प्रबन्धक)

राजेश कुमार सिंह

2157

17-10-11

भा0 2156

राजेश

प्रकाश यादव

विजय बहादुर सिंह

प्रत्यक्षतः ... लिये गये हैं।

उ0 नि0

21/10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768066

8. न्यासकर्ता [illegible] पोस्ट–किशुनदासपुर तहसील–मछलीशहर जनपद–जौनपुर उत्तर प्रदेश

9. उपरोक्त ट्रस्ट में नामित व्यक्ति जो ट्रस्टी बनाये गये है।

क्र0 सं0	नाम ट्रस्टी	पिता /पति	पद	व्यवसाय	पता
1	राजेश कुमार सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	प्रवन्धक	समाज सेवा	ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
2	आशीष सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	अध्यक्ष	व्यवसाय	ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
3	अन्जना सिंह	पत्नी राजेश कुमार सिंह	कोषाध्यक्ष	समाज सेवा	ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
4.	दिनेश सिंह	स्व0 वृजमोहन सिंह	सदस्य	व्यवसाय	ग्राम–चौकीखुर्द पोस्ट–किशुनदासपुर तहसील मछलीशहर जनपद जौनपुर, उ0प्र0
5.	जितेन्द्र प्रताप सिंह	स्व0 प्रभुशंकर सिंह	सदस्य	व्यवसाय	ग्राम–सकरा पोस्ट–रामपुर तहसील मड़ियाहूँ जनपद जौनपुर, उ0प्र0

नोट–उपरोक्त के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार दो विधि सलाहकार एवं प्रवक्ता– एक, तथा 11 सदस्य, 21 पद संरक्षक नियुक्ति होगें। इस प्रकार कुल सं–42 होगी एवं यही पद प्रत्येक ब्लाक, तहसील जिलें एवं प्रान्त में होगें सभी न्यासी अध्यक्ष न्यासकर्ता के साथ मिलकर कार्यकरना स्वीकार करते है।

2158
17-10-11

आवक क्र. 2156

20

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768067

10. ट्रस्ट न्यास का स्वरुप– यह ट्रस्ट एक स्वैच्छिक सामाजिक संगठन है जो जाति धर्म वर्ग सम्प्रदाय से ऊपर उठकर जनहित सर्व हिताय सर्व सुखाय के लिए कार्य करेगा।

11. लाभग्राही – हिन्दू ,सिख बौद्ध आदि समस्त धर्म जाति के समस्त लोगो को बिना किसी भेद भाव के सामान्य विकास अर्थात मानव मात्र के सर्वांगीण विकास के लिए यह ट्रस्ट कार्य करेगा एवं सभी को समान लाभ पहुँचाने का प्रयास करेगा।

12. हित ग्राही व्यक्ति – ट्रस्ट न्यास द्वारा किसी भी प्रकार का कोई लाभ किसी व्यक्ति विशेष के लिए नही होगा बल्कि ट्रस्ट के विकास व उसके कार्यक्रमो के विकास में लोग कल्याण के लिए लगाया जायेगा।

राजेश कुमारि

२५५९
17-10-11

२५०० २५५६
७०

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 768068

(5)

13. ट्रस्ट के उद्देश्य –

1. समाज के सभी वर्गों एवं धर्मों के बालक बालिकाओं के लिए प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च शिक्षा, मेडिकल, इन्जीनियरिंग, विधिक एवं रोजगार परक शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं उनका संचालन करना।

2. समाज के सभी वर्गों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत करने के लिए सामाजिक, सास्कृतिक एवं अध्यात्मिक कार्यक्रमों का आयोजन एवं उनका संचालन करना। तथा पुस्तकालय एवं वाचनालय की स्थापना करना।

राजेश कुमार

2160
17-10-11

आवक क्र 2156

20/10

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (6) 13AA 768069

3. देश एवं समाज की एकता एवं अखण्डता के लिए जन जागरण करना एवं सुयोग्य नागरिक बनाने में मदद करना ।

4. समाज के निर्बल असहाय एंव निर्धन परिवार के बच्चो की छात्रवृत्ति एवं अनुदान की व्यवस्था करना ।

5. बाल विवाह रोकने एवं विधवा विवाह को समाजिक मान्यता दिलाने का हर सम्भव कार्य करना। तथा परिवार कल्याण के लिए प्रचार प्रसार करना ।

6. शासन/प्रशासन में प्रत्येक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार,रिश्वतखोरी को उजागर करना तथा भ्रष्ट रिश्वतखोर व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही कराना,पुलिस का भय आम जनता के मन से निकालकर सही ताल–मेल व सूझ बूझ ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य है।

राकेश कुमार

2161

2156

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13AA 768070

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(7)

7. नवयुवको एवं शिक्षित बेरोजगारो को स्वत: रोजगार हेतु प्रेरित करना एवं प्रशिक्षित करना ।

8. अपराधो,रिश्वतखोरी व भ्रष्टाचार में लिप्त मंत्री, अधिकारीगण लोक सेवको,दवंगो को पकड़वाकर सरकार/न्यायालय द्वारा विधिक परिधि में नियमानुसार सजा दिलवाना।

9. प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगो को हर सम्भव सहायता दिलाने का कार्य करना।

10. समाज के सभी वर्गो के असहाय निर्बल एवं गरीब लोगो को जीवन दायिनी दवाओं के नि:शुल्क वितरण की व्योवस्था करना।

11. किसानो को आधुनिक उत्तम खाद बीज एवं कृषि यन्त्रों की व्यवस्था कराने का कार्य करना तथा प्रशिक्षण शिविरों का संचालन करना।

राकेश कुमार मिश्र

2162

17-10-11

[illegible] 2456

20

[illegible]

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768903

12. संस्था के एजेन्टो द्वारा तस्कारो माफियाओं को रंगे हाथो पकड़वाना और उसकी गुप्त सूचनाये महामहिम राष्ट्रपति,मा0प्रधानमंत्री,गृहमंत्री,न्यायाधीश,लोक सभा अध्यक्ष व केन्द्र सरकार के मंत्रालयों व प्रदेश के मा0 मुख्यमंत्री,महामहिम राज्यपाल एवं सम्बन्धित सरकारी कार्यालयों को उपलब्ध कराना।

13. समाज में व्योवसायिक तकनीकी की शिक्षा कम्प्यूटर शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु कार्य करना।

14. ग्रामीणान्यलो में अच्छी शिक्षा हेतु विद्यालयो शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार करना।

15. महिलाओं तथा समाज के निर्बल वर्ग के लोगो की आत्म निर्भरता के लिए घरेलू उद्योग धंधो को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना।

राकेश कुमार ...

2163

17-10-11

20

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 768904

(9)

16. सरकार द्वारा महिलाओ, अनुसूचित जातियों जनजातियों अल्प संख्य को पिछड़े वर्ग के लोगो के लिए चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार प्रसार में सरकार को पूर्ण सहयोग देना।

17. देश में स्वच्छ प्रशासन देने/हेतु/लागू करने हेतु सरकार को सामाजिक सहयोग दिलाने का कार्य करना।

18. हेप्रेटाइटिस बी एवं एड्स जैसी बिमारियों के विषय में प्रचार प्रसार करना तथा रक्षा के उपाय टीकाकरण आदि करना तथा गरीबों के इलाज हेतु स्वास्थ्य केन्द्रो एवं अस्पतालों आदि की स्थापना करना।

19. रोजगार के अधिक अवसर दिलाने हेतु तकनीकी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना तथा प्रचार प्रसार का कार्य करना तथा विधिक शिक्षा को बढ़ावा देना।

20. मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करना एवं जरुरी कदम उठाना

21. विकलांग, मूकबधिर, नेत्रहीन बालक बालिकाओं हेतु विद्यालय का संचालन करना तथा आवास भोजन कपड़ा शिक्षा आदि की व्यवस्था करना।

२।७।२१

2164
17/10/11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13AA 768905

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

22. बालिकाओं/महिलाओं के लिए कढ़ाई बुनाई हस्तकला चित्रकला एवं खादी ग्रामोद्योग सम्बन्धित शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो की स्थापना करना।
23. दहेज उन्मूलन, नशा उन्मूलन का व्यापक प्रचार प्रसार करना।
24. जनसंख्या नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमो का आयोजन करना उपाय करना तथा प्रचार प्रसार करना।
25. बंजर, ऊसर, क्षारीय, अम्लीय भूमि के सुधार का कार्यक्रम संचालित करना।
26. कृषि विविधीकरण, कृषि तकनीकी विकास, बीज विकास एवं एवं अनुसंधान कार्यक्रमों को संचालित करना।
27. अन्य वे सभी कार्य करना जो सामाजिक एवं राष्ट्रीय हित में आवश्यक हो।
28. संम्पूर्ण हिन्दू समाज की लोगों की जान–माल की सुरक्षा करना, पशु बध्य रोकना मुख्य उद्देश्य होगा।
29. संम्पूर्ण हिन्दू व सनातन धन की जमीन व मंदिर धर्मशाला का सुरक्षा प्रदान करना धर्मान्तरण रोकना सनातन धर्म का प्रचार करना ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।
30. संम्पूर्ण भारत वर्ष में श्री रामजानकी शंकर भगवान ट्रस्ट का दान प्राप्त करना।
31. संम्पूर्ण भारत वर्ष में विभिन्न प्रकार के हिन्दू धर्म क मंदिर व जमीन को समाकेतिक करके ट्रस्ट लाभ पहुँचाने का उद्देश्य होगा। संम्पूर्ण हिन्दू शंकराचार्य व ऋषि मुनि साधुसंत ज्ञानियों को बुला कर प्रवचन सत्संग कराना और ट्रस्ट की ओर से समान देना ट्रस्ट का उद्देश्य होगा।
32– हिन्दू समाज के नागरिको को प्रसाद व ठहरने की व्यवस्था एवं धार्मिक मेला पर्व पर सुरक्षा व्यवस्था का प्रवन्ध यथा शक्ति प्रदान किया जायें।

राजेश कुमार गौड़

2165
17-10-11

0410202156

भारतीय गैर न्यायिक
बीस रुपये
रु.20
Rs.20
TWENTY RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA
INDIA NON JUDICIAL
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
13AA 768906

33– भारत राष्ट्र पर किसी भी देश द्वारा किसी भी प्रकार जान–माल नुकसान पहुचाने वालो को ट्रस्ट द्वारा भारत रक्षा हिन्दू सैनिक बनाकर मार खदेडने का उद्देश्य होगा।

34. किसी भी धर्म जाति के लावरिस मृतक के अंतिम संस्कार के लिए ट्रस्ट द्वारा चन्दा धनराशि इक्कठा प्राप्त करके उसका अंतिम संस्कार करवाने में योगदान होगा।

35. अन्य हिन्दू संगठनों एवं सस्थाओं से सहयोग लेना–देना ट्रस्ट का अधिकार होगा। धर्मशाला व सत्संग भवन एवं व्यवसायिक दुकान का निर्माण होगा।

14. ट्रस्ट की सदस्यता –ट्रस्ट की सदस्यता निम्नलिखित प्रकार की होगी।

1. संस्थापक ट्रस्टी प्रवन्धक –ट्रस्ट पंजीकरण दस्तावेज में उल्लिखित समस्त संस्थापक ट्रस्टी ट्रस्ट के संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी होगे जिन्हे किसी भी प्रकार के रिक्त ट्रस्टी को मनोनीत करने एवं ट्रस्ट के संचालन और नियंत्रण का सर्वाधिकार प्राप्त है। इन्हे अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार होगा। उत्तराधिकारी का चयन न होने की स्थिति में जेष्ठपुत्र उत्तराधिकारी होगा। जिन्हे अपने पूर्ववर्ती की भॉति समस्त अधिकार प्राप्त होगे इनकी सदस्यता का अधिकार मृत्यु या स्वतः त्यागपत्र द्वारा ही समाप्त होगा। अन्य कोई धारा इन पर प्रभावी नही होगी।

राजेश कुमार सिंह

2166
17-10-11

आवक०-2756
20

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768907

12–

2. मुख्य ट्रस्टी — राजेश कुमार सिंह पुत्र स्व0श्री–बृजमोहन सिंह होगें। इन्हे संस्थापक ट्रस्टी की तरह समस्त अधिकार प्राप्त होगे।

3. सहयोगी ट्रस्टी — जो व्यक्ति ट्रस्ट को एक हजार रुपयें वार्षिक सदस्यता शुल्क के रुप में देगा वह एक वर्ष के लिए सहयोगी ट्रस्टी होगा सहयोगी ट्रस्टी बनने के लिए मुख्य ट्रस्टी/प्रबन्धक पदनाम से आवेदन करना होगा जिनकी स्वीकृति एवं हस्ताक्षरित रसीद ही विधिमान्य होगी।

15. ट्रस्ट की सदस्यता समाप्ति—

1. मृत्यु हो जाने पर
2. स्वतः त्यागपत्र देने पर
3. पागल या दीवालिया होने पर
4. लगातार तीन बैठको में अनुपस्थित रहने पर।
5. नियमित रुप से सदस्यता शुल्क न देने पर।

राजेश कुमार सिंह

2167
17-10-11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 768908

6. कदाचार के गम्भीर मामलो में न्यायालय द्वारा दण्डित किये जाने पर।
7. ट्रस्ट विरोधी कार्य करने एवं अनुशासन हीनता के दण्ड स्वरुप।

नोट-उपरोक्त उपबन्ध सिर्फ सहयोगी ट्रस्टियो के लिए मुख्य ट्रस्टी और संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगा।

16. संस्थापक/प्रवन्धक/आजीवन ट्रस्टियों के अधिकार व कर्तव्य-

1. ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेना।
2. ट्रस्ट के द्वारा संचालित परियोजनाओं के संचालन में समितियो उप समितियों का गठन करना।
3. आवश्यकतानुसार ट्रस्ट के नियम, उपनियम बनाना संसोधन करना तथा उनको क्रियान्वित करना।
4. ट्रस्ट के बजट पर विचार करना तथा उसे स्वीकृति प्रदान करना एवं ट्रस्ट का वार्षिक आय-व्यय का लेखा-जोखा स्वीकृत करना।
5. ट्रस्ट के किसी पदाधिकारी द्वारा लिये गये निर्णय पर अन्तिम निर्णय देना।

राजेश कुमार सिंह

2168
17-10-11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 768909

6. अपने जीवन काल में ही अपने उत्तराधिकारी का चयन करने का अधिकार

7. ट्रस्ट के आजीवन ट्रस्टियों की संख्या को प्रवन्धक /अध्यक्ष, आजीवन ट्रस्टीयों द्वारा सर्व सम्मति से बढ़ाया जा सकता है।

8. अन्य वे सभी कार्य करना जो ट्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।

नोट–संस्थापक आजीवन ट्रस्टी की रिक्तो की पूर्ति संस्थापक/आजीवन ट्रस्टियों के वंशानुक्रम से ही वैद्य मानी जायेगी।

17. **मुख्य ट्रस्टी के अधिकार एवं कर्तव्य–**

1. मुख्य ट्रस्टी का मुख्य प्रशासनिक एवं कार्यकारी अधिकारी होगा एवं प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति का पदेन प्रबन्धक होगा। वह अपने जीवन काल में ही अपना उत्तराधिकारी चयनित कर सकता है।
2. ट्रस्ट के लिए दान अनुदान चन्दा आदि प्राप्त करना तथा उसके लिए यथा विधि रसीदे देना।
3. ट्रस्ट की कार्यवाहियों को लिपिबद्ध करना।
4. ट्रस्ट से सम्बन्धित लेखो विलेखो बिलो आदि पर हस्ताक्षर करना एवं उसे जारी करना।

राजेश कुमारी

2169
17-10-11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 768910

5. ट्रस्ट के लिए चल अचल सम्पत्ति खरीदना बेचना रहन रखना ऋण लेना, अनुदान लेना पदाधिकारियो को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना व उनको मनोनीत करना, नियुक्त करना निष्काशन करना व किसी सक्षम अधिकारी द्वारा दिये गये प्रशासनिक निर्णय का अनुमोदन करना या निरस्त करना।

6. ट्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना वेतन वेतनबृद्धि तथा अन्यदेय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन एवं निष्कासन करना।

7. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना एवं उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।

8. ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों महाविद्यालयो एवं शिक्षण प्रशिक्षण केन्द्रो का प्रबन्धक बनकर कार्य करना।

9. समस्त पत्राचार एवं वित्तीय नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना एवं अन्य वे सभी कार्य जो विवाद का बिन्दु हो उसमें अन्तिम एवं बाध्यकारी निर्णय देना।

2176

17-12-17

9807024546

20/-

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 13AA 769311

18. सहयोगी ट्रस्टी के अधिकार कर्तव्य–

1. ट्रस्ट एवं समाज की उन्नति के कार्य करना।
2. सामाजिक हित में अच्छे सुझाव देना।
3. मुख्य ट्रस्टी का सहयोग करना एवं मुख्य ट्रस्टी द्वारा दिये गये अधिकारो का प्रयोग करना।

19. ट्रस्ट की प्रबन्ध कार्यकारिणी समिति– ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समति मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रवन्धक, कोषाध्यक्ष, तथा सदस्य होगे।

20. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य– ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति ट्रस्ट से सम्बन्धित नीति विषयक निर्णय लेगी एवं ट्रस्ट के संचालन के लिए उत्तरदायी होगी।

21. ट्रस्ट की प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियो के अधिकार एवं कर्तव्य–

1. **अध्यक्ष –** (1) सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
   (2) किसी भी विचारणीय विषय पर समान मतदान होने पर अपने निर्णायक मत का प्रयोग करना।

राजेश कुमार ...

२।७।-10-11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

Rs.20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

17-

13AA 769312

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(3) बैठको के लिए प्रवन्धक की राय से तिथि का अनुमोदन करना।

(4) बैठक में शान्ति व्यवस्था कायम करना।

(5) ट्रस्ट की कार्य योजनाओ का अनुमोदन करना।

(6) ट्रस्ट के आय–व्यय का अनुमोदन करना।

(7) ट्रस्ट के संचालन के लिए वित्तीय अधिकारो का प्रयोग करना।

(8) अन्य सभी अधिकारियों का प्रयोग करना जो नियमानुसार विधिमान्य हो।

2. उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उनके सभी अधिकारो का प्रयोग करना जो नियमानुसार विधिमान्य हो।

3. प्रवन्धक –

1. मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट का पदेन सचिव होगा एवं ट्रस्ट का मुख्य प्रशासनिक व कार्यकारी अधिकारी होगा।

2. ट्रस्ट के लिए अदान अनुदान चन्दा सदस्यता शुल्क आदि प्राप्त करना तथा उनके लिए यथा विधि रसीदे देना तथा लेखो विलेखो बिलो आदि पर हस्ताक्षर कर उसे जारी करना।

2172
17-10-71

2156
20

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

भारत

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769313

3. बैठक की कार्यवाहियों की लिपिबद्ध करना।

4. ट्रस्ट के लिए चल अचल सम्पत्ति खरीदना, रेहन रखना ऋण लेना अनुदान लेना, एवं पदाधिकारियो को विभिन्न प्रकार के अधिकार प्रदान करना उनको मनोनीत करना नियुक्त करना निष्कासन करना।

5. ट्रस्ट द्वारा वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्त करना वेतन बृद्धि तथा अन्यदेय धनराशियों का भुगतान स्वीकृत करना एवं वैतनिक कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निलम्बन एवं निष्कासन करना।

6. अदालती कार्यवाहियों का प्रतिनिधित्व करना तथा उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।

7. समस्त पत्राचार एवं वित्तीय नियंत्रण के अधिकार का प्रयोग करना एवं उसके लिए प्रतिनिधि नियुक्त करना।

8. ट्रस्ट से सम्बन्धित बैंक खातो का संचालन करना।

9. अन्य वे सभी कार्य जो ट्रस्ट एवं समाज के हित में आवश्यक हो।

राजेश कुमार सिंह

2173
17-10-11

आ०न० 2156
ह०/

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

13AA 769314

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

4. कोषाध्यक्ष

1. आय–व्यय का लेखा जोखा करना।
2. ट्रस्ट के आय–व्यय की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
3. प्रवन्धक / अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित बिलो का भुगतान करना।

22. विवादित स्थिति पर निर्णय–

ट्रस्ट में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति आने पर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियों/मुख्य ट्रस्टी को ट्रस्ट के दस्तावेज के मुताबिक समस्त अधिकर प्राप्त होग एवं वे ट्रस्ट के संचालन के लिए स्वयं उत्तरदायी होगे ।

23. ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख–

एजेन्डा रजिस्टर सदस्यता रजिस्टर, कार्यवाही रजिस्टर, कैसबुक लेजर बाउचर फाइल रसीद वही, पासबुक, चेकबुक निरीक्षण रजिस्टर, उपस्थिति रजिस्टर वेतन भुगतान रजिस्टर एवं अन्य वे सभी कागजात जो ट्रस्ट के संचालन में आवश्यक होग ट्रस्ट के रिकार्ड एवं अभिलेख कहलायेगे।

2174
17-10-11

आवेदन 2156
20

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769315

24. अनुशासनात्मक कार्यवाही–

ट्रस्ट के किसी भी प्रकार के पदाधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवही का निर्णय प्रबन्ध समिति करेगी। यदि प्रभावित व्यक्ति को उसके निर्णय से असंतोष होता है तो वह एक माह के अन्तर्गत मुख्य ट्रस्टी के यहां अपील कर सकता है संस्थापक ट्रस्टियो की सहमति से मुख्य ट्रस्टी द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

25. नियमो विनियमों में संसोधन–

संस्थापक/आजीवन ट्रस्टी सर्वसम्मति से या दो तिहाई बहुमत से ट्रस्ट के नियमों विनियमो में संसोधन कर सकते है।

26. वाद तथा प्रतिवाद –

समस्त प्रकार के वादो तथा प्रतिवादो का न्याय क्षेत्र जनपद न्यायालय जौनपुर उत्तर प्रदेश रहेगा तथा ट्रस्ट द्वारा दूसरो पर या दूसरो द्वारा ट्रस्ट पर दायर वाद विवाद तथा प्रतिवाद ट्रस्ट के नाम से होगे व्यक्तिगत नाम से नही ट्रस्ट इस प्रकार के वादो प्रतिवादो की पैरवी के लिए किसी व्यक्ति या पदाधिकारी को मनोनीत कर सकता है। तथा अपना कानूनी सलाहकार निश्चित कर सकता है।

राजेश कुमार

২১৮

17-10-11

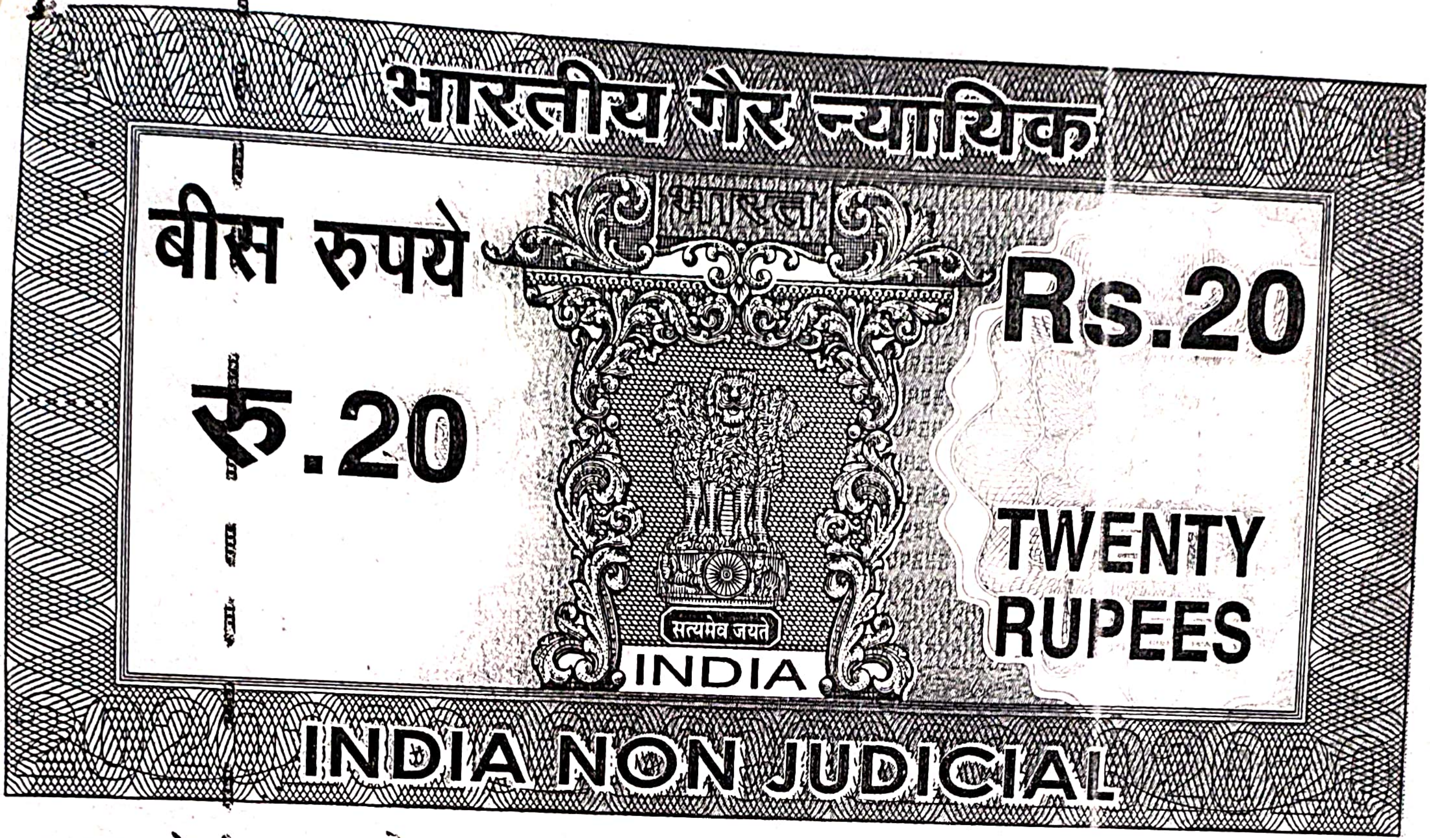

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH (21) 13AA 769316

27. परियोजनाओं के संचालन में ट्रस्ट की व्यापकता–

ट्रस्ट सामाजिक लाभ के लिए संस्थाओं एवं परियोजनाओं का संचालन ग्राम स्तर से लेकर अखिल भारतीय स्तर तक कर सकता है जो कि भारत वर्ष के किसी भी प्रान्त जिले तहसील या ग्रामो में चलायी जायेगी।

28. पदों का सृजन–

ट्रस्ट आवश्यकतानुसार विभिन्न कार्यक्रमो के सफल संचालन के लिए आवश्यक पदों का सृजन कर सकता है और सुयोग्य व्यक्ति को पद स्थापित कर सकता है सम्बन्धित कार्यक्रमो की प्रबन्ध समितियो का गठन करके उनके उत्तरदायी पदाधिकारियों को मनोनीत करके उन्हे कार्य सोप सकता है तथा जिसके लिए उन्हे यात्रा भत्ता दैनिक भत्ता तथा यथा विधि पारिश्रमिक की भी व्यवस्था कर सकता है।

29. ट्रस्ट का कोष –

ट्रस्ट के कोष का संचालन किसी मान्यता प्राप्त/सरकारी बैंक में ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किया जायेगा जिसका संचालन प्रवन्धक/अध्यक्ष के हस्ताक्षर द्वारा किया जायेगा।

2176
17-10-11

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20

Rs.20

TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

13AA 769317

30. ट्रस्ट न्यास की सम्पत्तिया –

स्टर्लिंग एजुकेशनल ट्रस्ट मीरगंज जौनपुर ट्रस्ट के संस्थापक ट्रस्टियो द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति के लिए दी गयी कुल 2100/– (इक्किस सौ रुपये) की चल सम्पत्ति है जिसे ट्रस्ट के नाम खाता खोलकर किसी सरकारी मान्यता प्राप्त बैक में जमा किया जायेगा। जिसे ट्रस्ट के उद्देश्यो की पूर्ति में लगाया जायेगा। सरकारी स्टाम्प मुबलिक 500/–पाँच सौ रुपये सरकारी मूल्यांकन के हिंसाब से दिया जा रहा है और यह दस्तावेज रजिस्टर्ड कराया जा रहा है। यह दस्तावेज श्री–.विजय बहादुर सिंह एडवोकेट.तहसील मछलीशहर (पंजीयन संख्या–6174/03) द्वारा तैयार किया गया।

टाईपकर्ता–संदीप कुमार मौर्य (मछलीशहर.तहसील के सामने.जौनपुर)

गवाह1– चन्द्र प्रकाश पाण्डेय
पुत्र श्री [illegible] पाण्डेय
ग्राम चौकीकला
पर० [illegible] जौनपुर

हस्ताक्षर न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी

[illegible]

2- [illegible]

२१७७
१७-१०-११

९८०१०२१५६
२०

रजिस्ट्रेशन अधि० 1908 की धारा-32 ए० के अनुपालन हेतु

फिंगर प्रिन्टस

1. आशुतोष कुमार सिंह

बाया

दाया

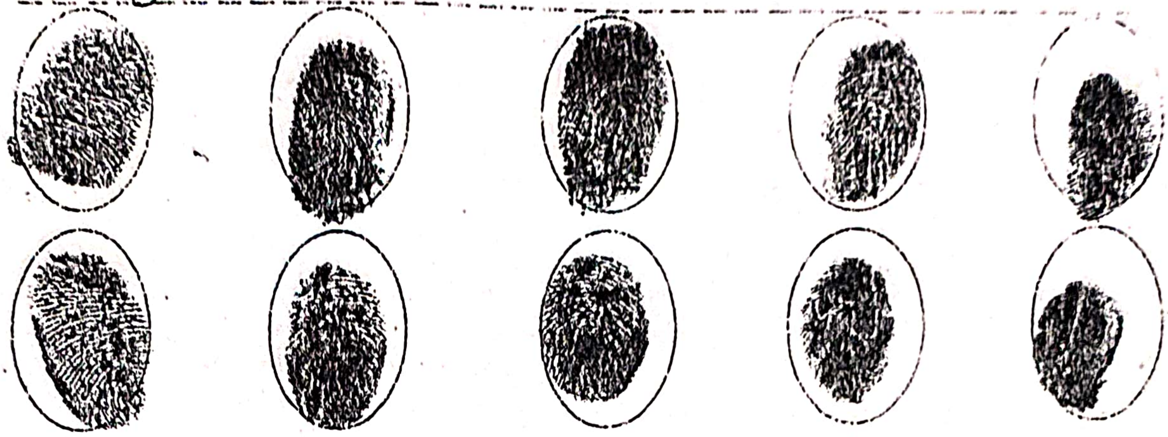

2

3

4

20/10/2011

IV 10

71/116 49